



झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

क्र०आ०सं०-8/विविध/104/2017/न०वि०आ०.....1601

राँची, दिनांक-08/03/17

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीनस्थ कार्यरत स्थानीय नगर निकायों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जिसमें आधार संख्या की अनिवार्यता है।

2. अद्यतन आंकड़ों के अनुसार झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में शून्य से पांच वर्ष की आयु वर्ग में मात्र 47.51 प्रतिशत बच्चों का आधार पंजीकरण किया जा सका है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि सभी स्थानीय नगर निकायों द्वारा आधार पंजीकरण संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं रहने पर Enrolment Id की अनिवार्यता के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-08/03/17

ज्ञापांक-8/विविध/104/2017/न०वि०आ०.....1601

प्रतिलिपि:-उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को उनके अर्ध सरकारी पत्र संख्या-529/CS, दिनांक-22.02.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक-08/03/17

ज्ञापांक-8/विविध/104/2017/न०वि०आ०.....1601

प्रतिलिपि:-सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी शहरी स्थानीय निकाय/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(A)
07103117